

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जून 2020 — आषाढ़ 3, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 जून 2020

आदेश

क्रमांक 4999/1402/21-ब/छ.ग./2020.— राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सुदर्शन महलवार, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, दुर्ग जिला दुर्ग की सेवाएं समाप्त करते हुए उनके स्थान पर श्री बालमुकुन्द चन्द्राकर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, दुर्ग जिला दुर्ग तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उन्हें लोक अभियोजक, दुर्ग जिला दुर्ग के पद पर भी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परीवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है।

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी।

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - 2014 - न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र सिंह, अवर सचिव.